


24.05.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही हो रही है। तलबी स्तर पर काफी समय से लंबित चल रही हैं। पूर्व दिनांक 04.10.2019 का हिदायत दी गई व आदेशिका मे 04.10.2023 को अंतिम अवसर न्यायाहित मे दिया गया। आज दिनांक वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

